

प्रेस वज़ाफ़्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आ श्रत हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक : 08-05-2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बीमा आयुक्त (पूर्वी क्षेत्र), श्री प्रणय सन्हा एवं कर्मचारी राज्य - बीमा निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक ,सीए. निरंजन कुमार द्वारा सादे समारोह में मेसर्स अनिल इंटरप्राइजेज प्रा. ल. के अंतर्गत पंजीकृत बी मत व्यक्ति श्री शैलेश प्रसाद जो अवर निबंधन कार्यालय मसौदी पटना में सुरक्षा कर्मी के पद पर कार्यरत थे उनकी आ श्रता पत्नी रीता देवी, पुत्र- कुणाल कुमार, पुत्री - बेबी कुमारी को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आ श्रत हितलाभ प्रदान किया गया और संवेदना व्यक्त की गयी ।

स्व. श्री शैलेश प्रसाद की मृत्यु दिनांक 30-04-2023 को कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी । वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे व परिवार पूर्णतः आ र्थक रूप से उन पर निर्भर था। नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आ श्रतों के लए मा सक पेंशन स्वीकृत किया गया । पेंशन के रूप में 720 रु. प्रतिदिन की दर से प्रतिमाह रु.21600/- आ श्रतों को मलेगा । दुर्घटना की ति थ से आज तक लगभग रु. 5,25,000- / रुपये का बकाया भुगतान भी उनके खाते में अंतरित किया जा रहा है ।

उल्लेखनीय है क कार्य के दौरान व कार्यस्थल और निवासस्थान के मध्य आवागमन के कारण होने वाली दुर्घटना को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बी मत कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके आ श्रत परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मा सक आ श्रत पेंशन दिया जाता है । इस सादे समारोह में अ भषेक कुमार, सहायक निदेशक, पूर्वी क्षेत्र भी उपस्थित थे ।

क्षेत्रीय निदेशक

